



(101)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

प्रकरण क्रमांक—

/2016 निगरानी जिला—श्योपुर  
मिति—१९/८/२०१६

वकफ इंतजामिया कमेटी

वकफ मजार मिठेशाह द्वारा अध्यक्ष अल्लानूर पुत्र  
नूर मौहम्मद पता—ग्राम मठेपुरा, तहसील व  
जिला—श्योपुर (म0प्र0) ..... निगरानीकर्ता

### विरुद्ध

1. जलालुद्दीन शाह पुत्र श्री अब्दुल सत्तारशाह  
निवासी—बापूजी मौहल्ला, वार्ड क्र013, श्योपुर  
तहसील व जिला—श्योपुर (म0प्र0)
2. अय्यूब खाँ पुत्र लतीफ खाँ जाति मुसलमान
3. कर्यूम खाँ पुत्र लतीफ खाँ जाति मुसलमान  
निवासीगण—पुरानी अनाज मण्डी के पीछे, वार्ड  
क्र016, श्योपुर तहसील व जिला—श्योपुर (म0प्र0)
4. अशलम मिर्जा पुत्र बाबू मिर्जा  
निवासी—छारबाग, टीला, श्योपुर (म0प्र0)
5. नजम पुत्र नासिर खाँ जाति मुसलमान
6. याकूब अंसारी पुत्र रमजानी अंसारी
7. अब्दुल्ला अंसारी पुत्र इस्माईल अंसारी  
निवासीगण—किला, वार्ड क्रमांक—1, श्योपुर (म0प्र0)
8. हमीद बेग उर्फ भोला कबाड़ी पुत्र श्री सप्त मिर्जा
9. चिक्कू कबाड़ी पुत्र श्री सप्त मिर्जा  
निवासीगण—बड़ा इमामबाज़ा, वार्ड क्रमांक—22,  
श्योपुर (म0प्र0) ..... अनावेदकगण/रेस्पोंडेण्ट्स

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1914-एक/16

जिला - श्योपुर

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
15/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला श्योपुर</u></p>	